

235

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1178]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 23, 2013/ज्येष्ठ 2, 1935

No. 1178]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 23, 2013/JYAISTHA 2, 1935

## श्रम और रोजगार मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2013

का.आ. 1332(अ).—केंद्रीय सरकार, खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 12 के साथ पठित खान नियमावली, 1955 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2552(अ) दिनांक 8 अक्टूबर, 2009 को उन बातों को सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्र सरकार एतद्वारा उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक समिति का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:—

1. धारा 12 की उप-धारा (1) के खण्ड(क) के अधीन नियुक्ति

विशेष सचिव अथवा अपर सचिव, अध्यक्ष  
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, पदेन

2. धारा 12 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन नियुक्ति

मुख्य खान निरीक्षक सदस्य  
खान सुरक्षा महानिदेशालय,  
धनबाद, पदेन

3. धारा 12 की उप-धारा (1) के खण्ड(ग) के अधीन नियुक्ति

(i) श्री रामअवतार अलगामकर सदस्य  
उपाध्यक्ष दक्षिण पूर्वी  
कोयला मजदूर कांग्रेस (एसईकेएमसी),

एन.सी.पी.एच.

कोलियरी, पोस्ट हल्दीबाड़ी:

चिमरीमिरी, जिला कोरिया

छतीसगढ़-497451

(ii) श्री गिरिजा नाथ राजावत

सदस्य

क्वार्टर नं. बी-4/101,

पोस्ट आफिस मलाजखण्ड

जिला बालघाट, मध्य प्रदेश-481116

4. धारा 12 की उप-धारा (1) के खण्ड(घ) के अधीन नियुक्ति

(तीन वर्ष की अवधि के लिए)

(i) श्री एन कुमार, निदेशक सदस्य

(तकनीकी), मैसर्स कोल

इंडिया लिमिटेड,

कोल भवन,

10 नेताजी सुभाष रोड,

कोलकाता-700001

(ii) श्री एन. के. नंदा, सदस्य

निदेशक (तकनीकी),

राष्ट्रीय मिनरल्स विकास कार्पोरेशन

लिमिटेड, खनिज भवन,

10-3-311/ए,

कैसल हिल्स, मसाब टैंक

हैदराबाद-500173

5. धारा 12 की उप-धारा (1) के खण्ड(ड) के अधीन नियुक्ति (तीन वर्ष की अवधि के लिए)

(i) प्रो. डी.सी. पाणिग्रही सदस्य  
निदेशक,  
भारतीय खान विद्यालय  
धनबाद-826004

(ii) डा. एस. के. सिंह, सदस्य  
मुख्य वैज्ञानिक और अध्यक्ष  
कोलमाइनिंग और हाइड्रोलॉजि  
विभाग, सैन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ  
माइनिंग एण्ड फ्यूएल रिसर्च  
बारवा रोड, धनबाद-826015 झारखण्ड

[फा. सं. यू-15011/03/09-आईएच. II]

ए. सी. पाण्डेय, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT  
NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd May, 2013

S.O. 1332(E).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952) read with rule 3 of the Mines Rules, 1955, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, number S.O. 2552 (E), dated the 8th October, 2009 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes, for the purposes of the said Act, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, a Committee consisting of the following members, namely :—

**1. Under clause (a) of sub-section (1) of section 12**

The Special Secretary or Chairman  
Additional Secretary,  
Ministry of Labour and  
Employment, ex-officio.

**2. Under clause (b) of sub-section (1) of section 12**

The Chief Inspector of Member  
Mines,  
Directorate General of  
Mines Safety, Dhanbad,  
ex-officio.

**3. Under clause (c) of sub-section (1) of section 12**

(i) Shri Ram Avtar Algamkar, Member  
Vice President,  
South Eastern Koyla  
Majdoor Congress  
(SEKMC),  
N.C.P.H. Colliery,  
Post Haldibari,  
Chirimiri, District Korla,  
Chhattisgarh- 497 451.

(ii) Shri Girija Nath Rajawat, Member  
Qtr. No. B-4/101,  
P.O. Malajkhand,  
District Balaghat, Madhya  
Pradesh-481116.

**4. Under clause (d) of sub-section (1) of section 12  
(for a period of three years)**

(i) Shri N. Kumar, Director, Member  
(Technical), M/s Coal India  
Limited, Coal Bhawan, 10,  
Netaji Subhas Road,  
Kolkata-700001.

(ii) Shri N.K. Nanda, Member  
Director (Technical),  
National Mineral Development  
Corporation Limited,  
Khanij Bhawan, 10-3-311/A,  
Castle Hills, Masab Tank,  
Hyderabad-500173.

**5. Under clause (d) of sub-section (1) of section 12  
(for a period of three years)**

(i) Prof. D. C. Panigrahi, Member  
Director,  
Indian School of Mines,  
Dhanbad-826004

(ii) Dr. S. K. Singh, Member  
Chief Scientist and Head  
Coal Mining and Hydrology  
Department, Central Institute  
of Mining and Fuel Research,  
Barwa Road, Dhanbad-826015  
Jharkhand

[F. No. U-15011/03/09-ISH. II]  
A. C. PANDEY, Jt. Secy.